# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2023–24/ 6611 दिनांक– 30.6.2023

## स्कूटी/छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है–

| क्र. सं | योजना का नाम | वर्ष | पोर्टल प्रारम्भ तिथि | पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना<br>1.उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग)<br>2.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग),<br>3 उच्च शिक्षा विभाग (ST वर्ग 10 एवं 12 वीं उत्तीर्ण)<br>4 अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग)<br>5. माध्यमिक शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछडा (EBC)वर्ग<br>6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग) की छात्राओं हेतु | 2023–24 | 01.07.2023 | 31.07.2023 |
| 2 | देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना | 2023–24 | 01.07.2023 | 31.07.2023 |
| 3 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना | 2023–24 | 01.07.2023 | 31.07.2023 |
| 4 | विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना | 2023–24 | 01.07.2023 | 31.07.2023 |
| 5 | बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना | 2023–24 | 01.07.2023 | 31.07.2023 |

योजना से संबंधित नियम/दिशा निर्देश विभागीय https://hte.rajasthan.gov.in/ के होम पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित विद्यार्थियों/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा–निर्देश नियम एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की भली–भांति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड

होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सारी सूचनाएं यथा जाति मूल निवास बैंक डिटेल अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से लॉगिन कर Citizen app -G2C के Scholarship (CE, TAD. Minority) आइकन पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावे।जिन विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

30.6.23

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर